IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SITAMARHI

Dated, Sitamarhi, the 18 -08 -2026

Present:- Akhilesh Kumar Jha, Principal District & Sessions Judge

<u>B.P. No.- 704/2026</u>

Mukesh Kumar ………..………………………..….Petitioner.

Vrs.

State of Bihar……………………………….… Respondent.

For the Petitioner : Sri Rajive Ranjan Advocate.
For the State : Sri Ramesh kumar, P.P. I/C

Date of Order or Proceeding	**Order with the signature of the Court**	Office action taken with date
18-08-26	अभियुक्त शेख मन्तसीर उर्फ शेख मंतसीर जो बेला थाना कांड सं0 148/25 में 317(5) of BNS & 7 E.C act के तहत दिनांक 18.06.26 से न्यायिक अभिरक्षा में है की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और प्रभारी लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिलकुल निर्दोष है। आवेदक पर लगाया गया सारा आरोप झूठा बनावटी एवं आधारहीन है। आवेदक को इस वाद में त्रुटिपूर्ण रीति से फंसाया गया है। आवेदक किसी भी प्रकार के किसी घटना कारित नहीं किया हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जप्त सामान न आवेदक के पास से बरामद हुआ है और नहीं आवेदक के अधिकार क्षेत्र में पाया गया है। जप्त मोटरसाइकिल एवं डिजल से आवेदक का कोई सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक 18.6.26 से कारा अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध करते है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वि0प0स0 13240472 निरीक्षक राहुल राज के टंकित आवेदन पर	

<u>B.P. No.- 704/2026</u>

18-8-26	संस्थित हुआ हैं। सूचक सशस्त्र बल के साथ दिनांक 17.6.26 को समय 14:15 बजे गश्ती के लिए प्रस्थान किया। गश्ती के कम में लगभग 14:30 बजे देखा कि एक मोटरसाइकिल सावार व्यक्ति भारत से नेपाल की तरफ जा रहा हैं सशस्त्र बल को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नेपाल की ओर भागना चाहा। सशस्त्र बल के सहयोग से उक्त व्यक्ति को दोड़कर पिलर सं0 313/2 के पास पकड़ा गया। जब मोटरसाइकिल पर रखे तीन जार की तलाशी ली गयी तो उस जार से 130 लीटर डीजल पाया गया। पूछताछ के कम में पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम शेख मंतासिर बताया। सशस्त्र बल के समक्ष जप्त डीजल एवं मोटरसाइकिल की जप्ती सूची बनाकर उसे जप्त कर लिया गया और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक पर 130 लीटर डीजल के साथ मोटरसाइकिल पर नेपाल के तरफ जाने का प्रयास का आरोप है। अनुसंधान के कम में पुलिस द्वारा इस वाद में किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया गया है । इस वाद में आरोप पत्र समर्पित हो चुका है। इसलिए साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 18.6.26 से कारा अभिरक्षा में है। कांड दैनिकी के कंडिका 30 एवं जमानत आवेदन के कंडिका 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतएव उपरोक्त तर्को, तथ्यो, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को मो0 10,,000 रू0 (दस हजार) रूपया की समान धन राशि के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर एवं BNSS की धारा 480 (3) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही निर्देश दिया जाता है कि दोनों प्रतिभू में से एक उसका निकट संबंधी होगा तथा एक भारतीय नागरिक होगा। लेखापित एवं शुद्धिकृत ह0/– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतामढी दिनांक– 18.8.2026	

B.P. No.- 704/2026

Date of Judgement / Order-	14-8-2026
Date of Reserving	14-8-2026
Uploading Date-	19.08.2026
Uploaded by -	पुरूषोतम कुमार